



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117/
No. 117/

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 2008/फाल्गुन 25, 1929
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 2008/PHALGUNA 25, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2008

सा.का.नि. 182(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादक का (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2006 का ऐसी बातों के बारे में के सिवाय अधिक्रमण करते हो जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई है या जिनको करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादक (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 है। ये जिस दिवस से केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करेगी लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण की विनियमन) अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है।

(ख) “पैकेज” से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों का पैक करने के लिए प्रयुक्त बाक्स, पाउच, शंक्वाकार, बेलनाकार की तरह का अथवा अन्य प्रकार का पैक अभिप्रेत है।

(ग) “प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र” से अभिप्रेत है,

(i) बाक्स की तरह के पैकेजों के लिए बाक्स के दो समान आकार के बड़े बाहरी क्षेत्र जिन्हें विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य अथवा रूढ़िजन्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(ii) पाउच की तरह के पैकेजों के लिए पैक का समस्त बाहरी क्षेत्र जिसे विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य

दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(iii) शंक्वाकार अथवा बेलनाकार की तरह के पैकेजों के लिए पैक का सम्पूर्ण किनारे वाला क्षेत्र जिसे विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(iv) पैकेज के किसी भी अन्य रूप अथवा प्रकार के लिए पैक का समस्त बाहरी क्षेत्र जिसे विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य अथवा रूढ़िजन्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(घ) “विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी” से इन नियमों को अनुसूची में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी अभिप्रेत है।

3. **पैक करने और लेबल लगाने की रीति.**—(1) सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विनिर्माण, पूर्ति आयात या वितरण में प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि :—

(क) सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज में इन नियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सटीक विशेष स्वास्थ्य चेतावनी होगी;

(ख) विशेष स्वास्थ्य चेतावनी पैक के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम चालीस प्रतिशत क्षेत्र को घेरेगी और इसे पैकेज के ऊपरी किनारे के सामान्तर रखा जाएगा और उसी दिशा में होगी जिस दिशा में प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र पर सूचना होती है :

परन्तु शंक्वाकार के पैक के लिए पैक के चौड़े किनारे के रूप में समझा जाएगा;

परन्तु यह और कि बाक्स और पाउच प्रकार के पैकों के लिए विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी पैक के दोनों ओर वृहद पट्टी पर दिखाई देगी;

(ग) जब पैकेज को सील किया जाता है या खोला जाता है तब विनिर्दिष्ट चेतावनी के कोई भी तत्व अलग नहीं किए जाते हैं, ढके नहीं जाते हैं या छिपाए नहीं जाते हैं;

- (घ) ऐसा कोई भी संदेश जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी विनिर्दिष्ट तम्बाकू ब्रांड या तम्बाकू उपयोग को साधारणतया संवर्धित करता है, तम्बाकू उत्पाद पैकेज पर उत्कीर्णित किया जाएगा;
- (ङ) ऐसे किसी उत्पाद का तब तक विक्रय नहीं किया जाएगा तब तक उस पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी ऐसे प्रत्येक खुदरा पैक पर मुद्रित की जाएगी जिसमें तम्बाकू उत्पाद का रखा जाना सामान्यतः उपभोक्ता के उपयोग या खुदरा विक्रय तथा किसी अन्य बाह्य पैकेज जैसे कार्टन या बाक्स पर आशयित है;
- (च) विनिर्दिष्ट चेतावनियाँ, पैक पर उपयोग की जाने वाली भाषा में उत्कीर्णित की जाएगी। परन्तु कि पैक पर दो से अधिक भाषाओं पर प्रयोग किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनिर्दिष्ट चेतावनी पठनीय और सुस्पष्ट हो।
- (छ) तम्बाकू उत्पाद के किसी भी पैकेट अथवा लेबल पर ऐसी कोई सूचना नहीं होगी जो असत्य, भ्रामक या कपटपूर्ण हो या जिससे तम्बाकू उत्पादों या इसके उत्सर्जन की विशेषताओं, स्वास्थ्य प्रभाव अथवा स्वास्थ्य या अन्य जोखिमों के बारे में गलत प्रभाव पड़ने की संभावना या आशयित हो। इस प्रतिबंध में शब्दों अथवा वर्णनात्मक शब्दों को प्रयोग करना सम्मिलित है, चाहे वे ब्रांड के नाम के भाग हों अथवा नहीं, यह इनके प्रयोग तक की सीमित नहीं हैं। ये शब्द अथवा वर्णनात्मक शब्द इस प्रकार हैं "हल्का", "अतिहल्का", "मध्यम", "कम टार", "पतला", "सुरक्षित" अथवा वैसे ही अन्य शब्द अथवा वर्णनात्मक शब्द ऐसी कोई ग्राफिक्स, जिसकी ऐसे शब्दों अथवा वर्णनात्मक शब्दों के साथ संबद्ध होने की संभावना अथवा आशयित हो तथा ऐसा कोई उत्पाद पैकेट के डिजाइन संबंधी विशेषताएँ जिनकी ऐसे वर्णनात्मक शब्दों के साथ संबद्ध होने की संभावना अथवा आशयित हो।

4. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों को अस्पष्ट लिखने, छिपाने, परिवर्तित करने अथवा पूरी न लिखने के संबंध में प्रतिषेध.—कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी उत्पाद, युक्ति या अन्य वस्तु का विक्रय या प्रदाय नहीं करेगा जिसे तम्बाकू उत्पाद के पैकेट पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी को ढकने, अस्पष्ट लिखने, छिपाने, परिवर्तित करने अथवा चेतावनी पूरी नहीं लिखने हेतु प्रयोग किये जाने के लिए आशयित हो या प्रयोग किया जा सकता हो। इसमें उत्पाद के पैकेट अथवा के भावों या उसकी बाहरी वस्तुओं पर ऐसे किसी भी खोज पर प्रतिषेध शामिल है जिससे निर्धारित संदेश अस्पष्ट होता हो।

5. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों का चक्रानुक्रमण.—तम्बाकू उत्पादों पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का चक्रानुक्रमण इनकी अधिसूचना के 12 माह के उपरान्त अथवा इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निश्चित किये अनुसार किया जा सकेगा।

अनुसूची

(नियम 3 देखें)

1. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के संघटक.—विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के संघटक में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :


(1) स्वास्थ्य चेतावनी.—चेतावनी "धूम्रपान जानलेवा है" (तम्बाकू उत्पादों के धूम्रपान के रूप में) और "तम्बाकू जानलेवा है" (तम्बाकू उत्पादों के धुआँ रहित या चबाने तथा अन्य रूप में) लाल पृष्ठभूमि में सफेद फॉन्ट रंग (100 प्रतिशत मैजेंटा + 100 प्रतिशत पीला हो) में दर्शाया जाएगा।

(2) तम्बाकू उपयोग के दुष्प्रभावों का चित्रात्मक प्रदर्शन.—तम्बाकू के उपयोग से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों को चित्रात्मक रूप में स्वास्थ्य चेतावनी के नीचे चित्रात्मक रूप में दिखाया जाएगा और वे बिल्कुल उसी रंग में होंगे जैसा कि इन नियमों के साथ लगी कॉम्पेक्ट डिस्क (सीडी) में सॉफ्ट प्रति में प्रदान किया गया है।

(3) स्वास्थ्य सन्देश.—प्रत्येक विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी में सफेद पृष्ठभूमि पर काले फॉन्ट रंग में स्वास्थ्य सन्देश सम्मिलित होगा। स्वास्थ्य सन्देश को सफेद पृष्ठभूमि पर काले फॉन्ट में आसानी से पढ़ी जा सकने वाली भाषा में मुद्रित किया जाना चाहिए और फॉन्ट प्रकार या फॉन्ट आकार बिल्कुल इस नियमों के साथ (1) में उपबंधित सॉफ्ट प्रति के अनुसार होगा।

2. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी इस प्रकार हैं—

(1) तम्बाकू पैकों के धूम्रपान के तरीके के लिए :



(2) चबाने वाले या धुआँरहित तम्बाकू के पैकेजों के लिए :



टिप्पण :—इन नियमों के साथ एक सीडी लगी है जिसमें इन स्वास्थ्य चेतावनियों की एक सॉफ्ट प्रति अन्तर्विष्ट है जिसका प्रयोग तम्बाकू उत्पाद पैकेजों में मुद्रण के लिए किया जाता है।

3. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का आकार.—(1) तम्बाकू पैक के प्रत्येक पैनेल पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का आकार सुनिश्चित करें कि चेतावनी सुपठनीय और सुस्पष्ट हो।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी पैक के मुख्य प्रदर्शन भाग के चालीस प्रतिशत भाग को

घेरती है, विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य के समस्त घटकों का आकार पैक के आकार के बढ़ने पर उसी अनुपात में बढ़ेगा।

4. **भाषा.**—प्रत्येक स्वास्थ्य चेतावनी और स्वास्थ्य संदेश अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य चेतावनी और स्वास्थ्य संदेश के लिए चयनित भाषा निर्माता द्वारा पैक पर प्रयुक्त भाषा के अनुरूप है, सीडी में उपलब्ध कराए गए संयोजनों में से उचित भाषा संयोजन का चयन किया जाना चाहिए। जहाँ पैक पर एक से अधिक भाषा का प्रयोग होता है, विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी और स्वास्थ्य संदेश प्रत्येक भाषा में पृथकतः दी जाएगी। परन्तु यह कि पैक पर दो से अधिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

5. **मुद्रण.**—इस अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा (2) के अध्यक्षीन मुद्रण करते यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के समस्त घटकों के रंग, प्रगाढ़ता और स्पष्टता में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है।

[फा. सं. पी-16011/07/2005-पी एच]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2008

G.S.R. 182(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7, sub-section (2) of Section 8, Section 10 and Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), and in supersession of the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—These Rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008 and they shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) “Act” means the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003;

(b) “package” means box, pouch, conical, cylindrical or any other type of pack used for packing cigarette and other tobacco products.

(c) “principal display area” means:—

(i) for box type packages, two equal sized largest surface area of the box that may be displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use;

(ii) for pouch type packages, the entire surface area of the pack that may be displayed or visible under normal conditions of sale or use;

(iii) for conical or cylindrical type of packages, the entire curving area of the pack that may be displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use;

(iv) for any other form or type of package, the entire surface area of the pack that may be displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use;

(d) “specified health warning” means, such health warnings as specified by the Central Government from time to time, in the Schedule to these rules.

3. **Manner of packing and labelling.**—(1) Every person engaged directly or indirectly in the production, supply, import or distribution of cigarette or any other tobacco product shall ensure that:—

(a) every package of cigarette or any other tobacco product shall have the specified health warning exactly as specified in the Schedule to these rules;

(b) the specified health warnings shall occupy at least forty per cent (40%) of the principal display area of the pack and shall be positioned parallel to the top edge of the package and in the same direction as the information on the principal display area: Provided that for conical packs, the widest end of the pack shall be considered as the top edge of the pack:

Provided further that for box and pouch type of packs, the specified health warning shall appear on both sides of the pack, on the largest panels;

(c) none of the elements of the specified warning are severed, covered or hidden in any manner when the package is sealed or opened;

(d) no messages that directly or indirectly promote a specific tobacco brand or tobacco usage in general are inscribed on the tobacco product package;

(e) no product shall be sold unless the package contains the specified health warning:

Provided that the specified health warning shall be printed on every retail pack in which the tobacco product is normally intended for consumer use or retail sale, as well as any other external packaging, such as cartons or boxes;

(f) the specified warnings shall be inscribed in the language used on the pack;

Provided that not more than two languages shall be used on the pack, so as to ensure that the specified warning is legible and prominent;

(g) no tobacco product package or label shall contain any information that is false, misleading, or deceptive, or that is likely or intended to create an erroneous impression about the characteristics,

health effects, or health or other hazards of the tobacco product or its emissions. This prohibition includes, but is not limited to, the use of words or descriptors, whether or not part of the brand name, such as “light”, “ultra light”, “mild”, “ultra mild”, “low tar”, “slim”, “safer”, or similar words or descriptors; any graphics associated with, or likely or intended to be associated with, such words or descriptors; and any product package design characteristics, associated with, likely or intended to be associated with, such descriptors.

4. Prohibition on obscuring, masking, altering or detracting from the Specified Health Warnings.—No person shall sell or supply any product, device, or other thing that is intended to be used, or that can be used, to cover, obscure, mask, alter, or otherwise detract from the display of specified health warning on the tobacco product package. This includes prohibition to design the product package or parts of the package, or accessories thereto, with any cover that may obscure the prescribed messages.

5. Rotation of specified health warnings.—The specified health warning on tobacco packs shall be rotated every twelve months from the date of notification of the rules or earlier as specified by the Central Government.

SCHEDULE



(See rule 3)

1. Components of specified health warning.—The components for the specified health warning shall include :—


- (1) **Health warning** :— The warning “Smoking Kills” (on smoking forms of tobacco products) and “Tobacco Kills” (on smokeless or chewing and other forms of tobacco products) shall appear in white font colour on a red background (consisting of 100% magenta + 100% yellow).
- (2) **Pictorial representation of ill effects of tobacco use.**—Pictorial depiction of the ill effects of tobacco use on health, shall be placed below the health warning and should appear in colour exactly as in the soft copy provided in the Compact Disk CD accompanying these rules.
- (3) **Health message.**—Every specified health warning shall include the health message in black font colour on a white background. The health message should be printed in easy to read black font on a white background and the font type or the font size shall be, exactly as per the soft copy provided in the CD along with these rules.

2. The specified health warnings are—

(1) For smoking forms of tobacco packs :—



(2) For chewing or smokeless forms of tobacco packages :—



Note:—These rules are accompanied by a CD that contains a soft copy of these health warnings, for inclusion in printing of tobacco product packages.

3. Size of the specified health warning.— (1) The size of the specified health warning on each panel of the tobacco pack shall ensure that the warning is legible and prominent.

(2) The size of all components of the specified health warning shall be increased proportionally according to increase of the package size to ensure that the specified health warning occupies forty 40% (per cent) of the principal display area of the pack.

4. Language.—Each health warning and health message has been specified in English and regional languages. Appropriate language combination should be selected from the combination provided in the CD to ensure that the language selected for health warning and health message are in conformity with the language used on the pack by the manufacturer. Where more than one language is used on the pack, the specified health warning and health message shall be given separately in each of the language. Provided that not more than two languages shall be used on the pack.

5. Printing.—Subject to sub-paragraph (2) of paragraph 3 of this Schedule, while printing, it must be ensured that the colour, intensity and clarity of all the components of the specified health warning are not tampered with.

[F. No. P-16011/07/2005-PH]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.